

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोहनखाल-ताली-कनसारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.45 है० वन भूमि हस्तान्तरण

14	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ
15	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	इस प्रस्तावित मोटर मार्ग का निरीक्षण दि० 27.03.2015 को स्थल कोऑर्डिनेट N30° 14'48" E79°06'42" से किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री आर.पी. सिंह अधिशासी अभियन्ता, नि०ख०, पी०एम०जी०एस०वाई०, लो०नि०वि० पोखरी, श्री सुनील कुमार सहायक अभियन्ता, नि०ख०, पी०एम०जी०एस०वाई०, लो०नि०वि० पोखरी, श्री संदीप रावत कनिष्ठ अभियन्ता, नि०ख०, पी०एम०जी०एस०वाई०, लो०नि०वि० पोखरी, श्री कुन्दन सिंह राणा वन क्षेत्राधिकारी, नागनाथ रेंज, श्री राजपाल सिंह बर्त्वाल अमीन, नि०ख०, पी०एम०जी० एस०वाई०, लो०नि०वि० पोखरी द्वारा किया गया। प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों को बचाने एवं उनकी संख्या न्यून करने के उद्देश्य से मौके पर अन्य वैकल्पिक संरक्षण उपयुक्त नहीं पाया गया। प्रस्ताव में संलग्न भारत सरकार के प्रपत्र भाग-2 में प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा दी गयी टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं। अतः उक्त वर्णित मोटर मार्ग निर्माण के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं स्थानीय वृक्ष प्रभावित न होने पाये, तथा निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण सावधानीपूर्वक किया जाय।

तिथि: 28/04/15
स्थान-गोपेश्वर

(एस.एस.रसाईली)

निदेशक/वन संरक्षक

नन्दादेवी बायोस्फियर रिज़र्व, गोपेश्वर।